भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2235
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण ट्रैकर संबंधी अनुपालन

2235. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोषण ट्रैकर प्लेटफॉर्म पर आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं की कुल संख्या श्रेणी-वार/छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;
(ख) जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित है, विफल रही है अथवा अन्य किसी तकनीकी कारण से पूरी नहीं हो सकी है, उनकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं सरगुजा जैसे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में, संख्या कितनी है;
(ग) वर्ष 2019 से पोषण ट्रैकर से संबंधित समस्याओं के कारण जिन लाभार्थियों को अनुपूरक पोषण प्राप्त करने में विलंब हुआ अथवा उससे वंचित होना पड़ा, उनकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(घ) डिजिटल अनुपालन संबंधी त्रुटियों के कारण पात्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को योजना के अंतर्गत पोषण संबंधी लाभों से वंचित न होना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों के आधार पर सभी लाभार्थियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए 'पोषण ट्रैकर' नामक आईसीटी आधारित निगरानी तंत्र लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या का विवरण पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

नेटवर्क संबंधी समस्याओं, जैसे कम अथवा इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध न होने की स्थिति से निपटने के लिए, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में टेक-होम राशन (टीएचआर) के वितरण हेतु चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) के अंतर्गत ई-केवाईसी तथा चेहरा मिलान की ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ई-केवाईसी तथा आधार आधारित चेहरा मिलान के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) लाभार्थी के संपूर्ण जीवनचक्र में केवल एक बार प्राप्त करना आवश्यक होता है। इससे नेटवर्क अथवा सर्वर संबंधी समस्याओं की स्थिति में भी लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं का लाभ प्राप्त करना सुगम हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, टेक-होम राशन (टीएचआर) की प्राप्ति को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के लिए एप्लीकेशन में व्यक्ति को नामित करने की सुविधा मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से अपना टेक-होम राशन (टीएचआर) प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित नहीं हो पाती है, तो वह अपनी ओर से किसी नामित व्यक्ति को टीएचआर प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर सकती है।

पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, देश में टेक-होम राशन (टीएचआर) के वितरण हेतु लाभार्थियों के ई-केवाईसी तथा चेहरे के मिलान का प्रतिशत पिछले एक वर्ष में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह जुलाई, 2025 में 70.82 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2026 में 97.87 प्रतिशत हो गया है। जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार ई-केवाईसी तथा चेहरा मिलान का राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को विशेष रूप से इस प्रकार विकसित किया गया है कि इसमें ऑफलाइन मोड में भी आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सके तथा प्रविष्टि किए गए आंकड़े पांच दिनों के भीतर नेटवर्क उपलब्ध होने पर स्वतः सिंक हो जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सेवाओं के आंकड़ों की प्रविष्टि तथा कार्यक्रम की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों, अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, ब्लॉक समन्वयकों तथा पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं।

तकनीकी समस्याओं के समाधान तथा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को निम्नलिखित माध्यमों से निरंतर प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल पर सहयोग प्रदान किया जाता हैः-

• शिक्षण वीडियो एवं जागरूकता सामग्री: पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के 'संसाधन' अनुभाग (रिसोर्स सेक्शन) में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए शिक्षण वीडियो तथा जागरूकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। इनका उपयोग वे अपनी नियमित सेवाओं के प्रभावी संचालन हेतु किसी भी समय कर सकती हैं।

• 'पोषण भी, पढ़ाई भी' पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों तथा क्षेत्रीय कार्मिकों को प्रशिक्षण की क्रमिक पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों (जिला अधिकारियों, ब्लॉक समन्वयकों एवं पर्यवेक्षको) को प्रशिक्षित किया जाता है, जो आगे क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रशिक्षण में पोषण ट्रैकर के विभिन्न मॉड्यूल, जैसे चेहरे की पहचान प्रणाली, जियो-टैगिंग, गृह भ्रमण अनुसूचक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, ब्लॉक एवं जिला समन्वयक आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं पर्यवेक्षकों को पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु स्थल पर निरंतर सहयोग प्रदान करते हैं।

• दैनिक प्रत्यक्ष कक्षा सत्र: डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे से 4:00 बजे तक प्रत्यक्ष कक्षा सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां भाग लेकर एप्लीकेशन के संचालन से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकती हैं तथा तत्समय में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सायं 4:15 बजे से 5:15 बजे तक राज्य स्तरीय अधिकारियों (पर्यवेक्षक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों) के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करना, नवीनतम अद्यतनों का प्रसार करना तथा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जोड़ी गई नई सुविधाओं एवं सुधारों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अनुलग्नक I

टेक-होम राशन के वितरण हेतु ई-केवाईसी एवं चेहरे के मिलान का राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (जून, 2026 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कुल सक्रिय पात्र टीएचआर लाभार्थी	ई-केवाईसी और चेहरे का मिलान (%)	
1	आंध्र प्रदेश	15,79,848	15,73,826	99.62
2	अरुणाचल प्रदेश	39,987	29,985	74.99
3	असम	14,64,565	13,99,032	95.53
4	बिहार	58,05,885	56,93,889	98.07
5	छत्तीसगढ	12,37,182	12,25,659	99.07
6	गोवा	32,154	32,046	99.66
7	गुजरात	20,75,155	19,68,244	94.85
8	हरियाणा	7,94,000	7,67,361	96.64
9	हिमाचल प्रदेश	2,67,541	2,67,261	99.90
10	झारखंड	14,27,157	13,94,629	97.72
11	कर्नाटक	23,14,434	23,12,930	99.94
12	केरल	7,61,139	6,91,948	90.91
13	मध्य प्रदेश	34,14,903	32,83,405	96.15
14	महाराष्ट्र	27,89,386	27,66,599	99.18
15	मणिपुर	1,36,072	1,25,632	92.33
16	मेघालय	1,90,733	1,77,346	92.98
17	मिजोरम	62,247	61,683	99.09
18	नगालैंड	59,404	52,821	88.92
19	ओडिशा	19,26,861	19,06,092	98.92
20	पंजाब	7,32,133	6,95,758	95.03
21	राजस्थान	23,78,043	23,56,289	99.09
22	सिक्किम	13,722	10,777	78.54
23	तमिलनाडु	15,51,931	15,24,962	98.26
24	तेलंगाना	10,85,170	10,78,515	99.39
25	त्रिपुरा	1,53,820	1,51,720	98.63
26	उत्तर प्रदेश	99,91,059	98,34,824	98.44
27	उत्तराखंड	4,73,100	4,51,742	95.49
28	पश्चिम बंगाल	40,08,617	38,31,439	95.58
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,308	7,146	97.78
30	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	17,367	17,293	99.57
31	दिल्ली	4,53,477	4,52,478	99.78
32	जम्मू और कश्मीर	4,38,600	4,31,159	98.30
33	लद्दाख	9,616	9,443	98.20
34	लक्षद्वीप	2,985	2,983	99.93

35	पुदुच्चेरी	29,971	28,994	96.74
36	चंडीगढ़	22,974	22,974	100.00
भारत		4,37,32,621	4,28,00,299	97.87
